[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 2/2019-प्रतिपूर्ति उपकर (दर)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

सा. का. नि. (अ).- माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-प्रतिपूर्ति उपकर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 720(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,

(i) क्रम संख्या 4 एवं उससे संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथाः

"4क	2202 99 90	कैफीनयुक्त पेय	12%";

(ii) क्रम संख्या 42 में, स्तम्भ (3) की प्रविष्टि में "क्रम संख्या 50 और 51 में उल्लिखित विवरण के वाहनों को छोड़कर, अधिकतम 13 व्यक्तियों जिनके अंतर्गत चालक भी है, के परिवहन के लिए मोटर वाहन" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम सं. 46 में, स्तम्भ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
"निम्नलिखित मोटर वाहन जिनकी लम्बाई 4000 एमएम, से अधिक न हो, यथाः-
(क) पेट्रोल, लिक्यूफाइड पेट्रोलियम गैंसे (एलपीजी) या कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) से चलने वाले वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक न हो; और
(ख) डीजल से चलने वाले वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, बशर्ते कि
भारत सरकार के भारी औद्योगिक विभाग के उप सचिव रैंक से अन्यून कोई अधिकारी से यह प्रमाणित करवाना होगा कि उक्त माल का प्रयोग दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा; और जैसा कि उक्त विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार होगा", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम सं. 50 में, स्तम्भ (2) की प्रविष्टि को, "8702, 8703 21 या 8703 22" की प्रविष्टि से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(v) क्रम सं. 51 में, स्तम्भ (2) की प्रविष्टि को, "8702, 8703 31" की प्रविष्टि से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

[फा.सं. 354/131/2019-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोटः प्रधान अधिसूचना सं.1/2017-प्रतिपूर्ति उपकर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 720 (अ) दिनाँक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II , खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 2/2018- प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनाँक 26 जुलाई, 2018, सा.का.नि. 704(अ), दिनाँक 26 जुलाई, 2018 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।